

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: cef.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( ) वसु/मुवसं/2022-23/ 1125  
निमित्त,

दिनांक :- 9/2/2023

उप वन संरक्षक,  
बांसवाडा।

विषय:— Issuing Forest NOC for laying underground OFC by M/s. Reliance Jio infocomm limited Jaipur ( Online Forest Proposal no. FP /RJ/ OFC/ 150331/2021

संदर्भ :- आपका पत्रांक 579 दिनांक 01.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से 0.2986 हैक्टर M/s. Reliance Jio Fiber private Ltd. Jaipur द्वारा MDR पर कस्बा गद्दी से पीपलखूंट तक की सीमा तक लंबाई में सड़क मार्ग के राईट ऑफ वे में/के बीच में आ रही वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आपकी अनुशाषा के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया है। प्राप्त प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण का अवलोकन करने पर निम्न सूचना/टिप्पणी अपेक्षित है।

| क्र.सं. | आक्षेप   | प्रत्युत्तर |
|---------|--|-------------|
| 1       | प्रस्ताव के हार्ड कॉपी में उप वन संरक्षक की मौका निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।  |             |
| 2       | प्रस्ताव के हार्ड कॉपी में उप वन संरक्षक की Recommendation रिपोर्ट संलग्न नहीं है।   |             |
| 3       | प्रस्ताव में जो ऑनलाईन पार्ट-1A भरा गया है, उसकी हार्ड कॉपी उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाणित कर प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।                                     |             |
| 4       | प्रस्ताव के पार्ट-1A के बिन्दु 2-4 में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल 0.2968 लिखा गया है जबकि वास्तविक क्षेत्रफल 0.2986 है।                              |             |
| 5       | प्रस्ताव के पार्ट-1A के बिन्दु संख्या -7 में प्रत्यावर्तित होने वाली भूमि की वनभूमि से 500 मीटर दूरी दर्शायी गयी है जबकि प्रत्यावर्तित होने वाला क्षेत्र वनक्षेत्र है। |             |

अतः मूल ही प्रस्ताव तीन प्रतियों में पुनः लौटाये जाकर लेख है कि उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर पूर्ण प्रकरण भिजवाना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त वनभूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के कोई भी गैरवानिकी कार्य नहीं हों।

संलग्न:- उपरोक्तानुसा। (मूल पत्रावली 3 प्रतियों में)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
उदयपुर।